न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

GCMS NO.-2002/00009

मिसल नम्बर– 367 / 2006

1. जुगलकिशोर आत्मज
2. बालमुकन्द आत्मज
3. महेन्द्र आत्मज
4. प्रदीप कुमार आत्मज (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
   4/1. रश्मि पत्नी प्रदीप कुमार,
   4/2. तनवी पुत्री प्रदीप कुमार,
   4/3. निकोलस आयु 16 वर्ष नाबालिग पुत्र प्रदीप कुमार,
   4/4. भविष्या आयु 14 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रदीप कुमार,
   4/5. नियति आयु 10 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रदीप कुमार,
   4/6. तनीशा आयु 7 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रदीप कुमार,
   4/7. तृप्ति आयु 4 वर्ष नाबालिग पुत्री प्रदीप कुमार, जर्ये संरक्षक माता रश्मि पत्नी प्रदीप कुमार, निवासी ग्राम थेकडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)
5. सुमित्रा पुत्री परसराम जी,

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा,
2. दी यूनियन ऑफ इण्डिया, जर्ये डी.आर.एम. वे०रे० कोटा राजस्थान,

...........अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

वाद बाबत अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक 30/4/2026

वादी द्वारा वाद बाबत अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि –

प्रार्थीगणों के पिता एवं प्रार्थीया नं0 5 के पति स्व0 परसराम पुत्र गोविन्दा जाति माली निवासी रामचन्द्रपुरा तह0 लाडपुरा के खाते काश्त मे आराजी खसरा संख्या 146 नाम खेत बीडा वाली रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 147 नाम खेत रानी पछला रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 148 नाम खेत जालवाला कुआं रकबा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 149 रास्ता रकबा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 150 नाम खेत रमानी रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा वाके माल रामचन्द्रपुरा तह0 लाडपुरा मे स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

मैट्रिक प्रणाली मे प्रार्थीगण के 5 किता की कुल आराजी 12 बीघा 3 बिस्वा के 1.94 है0 होते है। सेटलमेंट विभाग ने ने मौके एवं कब्जे के विपरीत 5 किता आराजी के मात्र 2 खसरा नम्बर कुआं वाली भूमि के खसरा संख्या 44 रकबा 0.01 है0 एवं अन्य 4 किता भूमि के 1.66 है0 दर्ज खाता कर कुल 1.67 है0 भूमि प्रार्थीगण के खाते दर्ज कर रकबे मे से 0.27 है0 रकबे की कमी कर दी। जो संभवतः विवादित भूमि के चारों ओर के रास्ते के रकबे मे बढ़ा दी।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के सेटलमेंट से पूर्व खाते की भूमि 12 बीघा 3 बिस्वा के सेटलमेंट के बाद के खाते मे 1.67 है0 भूमि दर्ज की है की जह कमी रकबा 0.27 हे0 पूरा कर खाते मे 1.94 है0 भूमि दर्ज खाता संख्या की जावे। तथा इसी प्रकार नक्शे मे भी तरमीम की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से निम्न जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि :–

– प्रार्थीगण ने रेल्वे विभाग को किसा आधार पर पक्षकार बनाया गया है, का वर्णन नही कियागया है। इस कारण रेल्वे विभाग के खिलाफ प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। क्योकि प्रार्थना पत्र मे रेल्वे विभाग के खिलाफ कोई सहायता नही चाही गयी है।

–प्रार्थीगण द्वारा कमी रकबा किस रकबे मे तथा किसा खसरा नम्बर मे शामिल किया गया है का उल्लेख नही कियसा गया है। इस कारण भी प्रार्थना पत्र निरस्तनीया है।

–प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे गत आराजी 12 बीघा 3 बिस्वा पर पूर्व की भांति काबिज बताया है, ऐसी सूरज मे प्राथीग्ण कब्जे की पैमाईश करवाकर दुरुस्ती कर सकते थे, इस प्रकार प्रकरण मे रेल्वे विभाग को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है।

वादी की ओर जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि:–

प्रतिवादी क्रम 2 ने जवाब दावा की विशेष आपत्तियों के क्रम मे वादी का जवाब है कि रेल्वे विभाग को पक्षकार माननीय न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट को आधार मानकर बनाया गया है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारवान निस्तारण प्रतिवादी अप्रार्थी 2 बनाकर ही किया जा सकता है।

मौका रिपोर्ट राजस्व रिकोर्ड के आधार पर पेश की गई है। भू प्रबंध विभाग से पूर्व जमाबंदी संवत 2032–35 ग्राम रामचन्द्र पुरा तह0 लाडपुरा मे कुल किता 9 रकबा 76 बीघा 9 बिस्वा अप्रार्थी रेल्वे विभाग के नाम दर्ज रिकोर्ड है। जिसके वास्तविक 12.23 है0 होते है। जबकि सेटलमेंट बाद ग्राम रामचन्द्रपुरा मे की जमाबंदी संवत 2038–58 मे कुल किता 13 कुल रकबा 12.68 है0 दर्ज खाता कर सेटलमेंट ने वास्तविक रकबा 76 बीघा 9 बिस्वा के 12.23 (12.37 है0) से 0.31 है0 की बढ़ोतरी कर दी है। सेटलमेंट द्वारा रकबा बढाने का कार्य बिना किसी अधिकार क्षेत्र एवं सक्षम न्यायालय के आदेश से प्रार्थी प्रतिपक्षी अप्रार्थी 2 के बढ़े

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रकबे मे से कमी कराकर अपने रकबे मे 0.28 है0 की कमी पूर्ति कराने का अधिकारी है। प्रार्थी का पैमाईश मे रकबा पूरा है किन्तु खाते मे मात्र कमी है। जिसकी पूर्ति केवल मोका रिपोर्ट एवं पडोसियों एपं प्रतिवादी के खाते मे कमी भूमि के रेवेन्यू रिकोर्ड मात्र से हस्तान्तरण से किया जा सकता है।

प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र मे चाहे गये अनुतोष को प्राप्त करने के लिए पडोस पश्चिम मे प्रतिपक्षी 2 रेल्वे की भूमि जिसका रकबा 0.31 है0 रिपोर्ट के मुताबिक बढ गया है को खाते से कम कर प्रार्थीगणों के खाते 0.28 है0 दर्ज कराया जाकर कमी रकबे की पूर्ति करायी जावे।

तहसीलदार लाडपुरा को मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार :–

भू प्रबंध विभाग से पूर्व की जमाबंदी ग्राम रामचन्द्रपुरा संवत् 2032–35 गत खसरा संख्या 13 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 14 रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 20 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 38 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 71 रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 135 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 143 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 145 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, एवं खसरा संख्या 38/26 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 9 रकबा 76 बीघा 9 बिस्वा भूमि रेल्वे विभाग के नाम दर्ज रेकॉर्ड है।

भू प्रबंध जमाबंदी ग्राम रामचन्द्रपुरा संवत 2038–57 के अनुसार खसरा संख्या 20 रकबा 4.40 है0, खसरा संख्या 47 रकबा 0.19 है0, खसरा संख्या 48 रकबा 0.62 है0, खसरा संख्या 60 रकबा 3.14 है0, खसरा संख्या 61 रकबा 0.60 है0, खसरा संख्या 134 रकबा 1. 44 है0, खसरा संख्या 135 रकबा 0.02 है0, खसरा संख्या 139 रकबा 0.89 है0, खसरा संख्या 157 रकबा 0.54 है0, खसरा संख्या 165 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 166 रकबा 0.45 है0, खसरा संख्या 167 रकबा 0.11 है0, खसरा संख्या 157/335 रकबा 0.25 है0, कुल किता 13 रकबा 12.68 है0 भूमि रेल्वे विभाग के नाम दर्ज रेकोर्ड है।

मैट्रिक प्रणाली के गणना अनुसार 76 बीघा 9 बिस्वा के 12.37 है0 होना चाहिए थे जबकि भू प्रबंध जमाबंदी के अनुसार रेल्वे विभाग के खाते मे 12.68 है0 भूमि दर्ज है। इस प्रकार रेल्वे विभाग के नाम 0.31 है0 भूमि अधिक दर्ज रेकोर्ड है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा मौके के फोटोग्राफ प्रस्तुत करते हुये निवदेन किया गया कि भू प्रबंध के पूर्व से ही भूमि की चतुर्थ सीमांए निर्धारित है। हमारी भूमि के पश्चिम दिशा मे रेल्वे की फेंसिंग हा`रखी है। तथा शेष तीनों दिशाएं भी भू प्रबंध के पूर्व के चिन्हों से निर्धारित है। हमे मौके पर कोई भूमि नही चाहिए। भू प्रबंध विभाग द्वारा रिकोर्ड मे हमारा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रकबा कम करते हुये रेल्वे का रकबा बढा दिया गया है। जिसे तहसीलदार लाडपुरा द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

अतः रेल्वे का रकबा कम करते हुये रिकोर्ड मे हमारा रकबा पूर्ण किया जावे । मौके पर हमारा रकबा पूरा है। अतः मौके पर हमे कोई राहत नही चाहिए।

हमने पत्रावली एंव संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया एवं बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया ।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी संवत् 2032–35 से प्रमाणित है कि परसराम पुत्र गोविंदा के खाते कुल किता 5 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा भूमि दर्ज रिकोर्ड थी। मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–57 से प्रमाणित है कि उक्त खसरा नम्बरों के नवीन नम्बर खसरा संख्या 44 रकबा 0. 01 है0 एवं खसरा संख्या 45 रकबा 1.66 है0 कुल किता 2 रकबा 1.67 है0 बनाये गये।

रिपोर्ट तहसीलदार लाडपुरा से यह प्रमाणित है कि जमाबंदी संवत 2032–35 के अनुसार ग्राम रामचन्द्रपुरा मे रेल्वे विभाग के नाम कुल किता 9 रकबा 76 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज रिकोर्ड थी। भू प्रबंध जमाबंदी संवत् 2038–57 के अनुसार ग्राम रामचन्द्रपुरा मे रेल्वे विभाग के नाम कुल किता 13 रकबा 12.68 है0 भूमि भू प्रबंध विभाग द्वारा दर्ज की गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मैट्रिक प्रणाली की गणना अनुसार 76 बीघा 9 बिस्वा के 12.37 है0 होना चाहिए थे जबकि भू प्रबंध जमाबंदी के अनुसार रेल्वे विभाग के खाते मे 12.68 है0 भूमि दर्ज है। इस प्रकार रेल्वे विभाग के नाम 0.31 है0 भूमि अधिक दर्ज की गई।

संलग्न रिकोर्ड से यह प्रमाणित है कि वादीगण के खाते भू प्रबंध से पूर्व 12 बीघा 3 बिस्वा भूमि दर्ज थी। मैट्रिक प्रणाली मे परिवर्तित करने पर इसके 1.94 है0 बनते है जबकि भू प्रबंध विभाग द्वारा 1.67 है0 भूमि बनायी गई। इस प्रकार भू प्रबंध विभाग द्वारा वादीगण के खाते गत के मुकाबले 0.27 है0 भूमि कम दर्ज की गई है।

उक्त विवेचन से प्रमाणित है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा वादीगण के खाते 0.27 है0 कम दर्ज की गई है। तथा रेल्वे विभाग के नाम 0.31 है0 भूमि अधिक दर्ज की गई है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित दिशाओं से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण की भूमि की चतुर्थ सीमाएं निर्धारित है। वादीगण के कथनानुसार मौके पर उनके रकबे मे कोई परिवर्तन नही हुआ है। मौके पर रेल्वे की फैसिंग भू प्रबंध से पूर्व से लगी हूई है। वादीगण उस फैसिंग मे कोई भी परिवर्तन नही चाहते है।

उक्त परिस्थिति मे जबकि यह प्रमाणित है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट वादीगण का रकबा 0.27 है0 कम किया गया है तथा रेल्वे विभाग का रकबा 0.31 है0 बढाया गया है। हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम रामचन्द्रपुरा मे रेल्वे विभाग की भूमि से 0.27 है0 कम करते हुये वादीगण के खाते दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह भू प्रबंध से पूर्व व बाद के नक्शे की तुलना कर वादीगण व रेल्वे की भूमि की तुलनात्मक जांच करते हुये जिस स्थान पर रेल्वे का रकबा बढाया गया है, उन खसरा नम्बरान को 0.27 है0 की सीमा तक वादीगण के खाते दर्ज करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा
उपखण्ड अधिकारी
कोटा